कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-182 दिनांक: 17/6/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 21वीं दिनांक 7/6/2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0.21वीं दिनांक 7/6/2002 प्रात:/~~सायं~~ 4:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन.....,जविप्रा,जयपुर।

सदस्य सचिव,
बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय :- खसरा नम्बर 486,487,489,491/1,491/2 व 490 गांव नाहरगढ़ में स्थित भूमि का नियमन करने बाबत ।

उपायुक्त जोन ए-4 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और यह तथ्य उभर कर आया कि भूखण्ड संख्या 982,983ए/1, 983बी/1,983ए/2,983बी/2 गोबिन्द नगर पश्चिम आमेर रोड के भूखंड उपरोक्त संदर्भित भूमि पर बसे हैं और मौके पर सभी भूखण्डों में निर्माण है । अतः वाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि आमेर रोड़ को चौड़ाई को 160' एव प्रश्नगत भूखण्डों के पश्चिम में स्थित 20' चौड़ी रोड को 30' करते हुए जो शेष भूमि बचती है उसका मौके के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क लिया जाकर नियमन कर दिया जाये ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

विषय :- कृषि भूमि खसरा नम्बर 33 से 36, 40 से 43 कुल रकबा 4255·38 व·ग·(3558।·72 वर्ग मीटर) गांव सुखपुरा तहसील सांगानेर, का संस्थानिक(शैक्षणिक) नियमन बाबत ।

उपायुक्त जोन सी-। द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और निम्न तथ्य उभर कर आये ।

प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में जयपुर इंजिनियरिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर चल रहा है और जिसका संचालन सचिव नेशनल सोसायटी फोर इंजीनियरिंग रिसर्च एवं डवलपमेंट द्वारा किया जा रहा है । प्रश्नगत भूमि की 90 बी कार्यवाही हो चुकी है ।

मास्टर विकास योजना 20।। में यह क्षेत्र होल सेल बिजनिस, ~~आवासीय~~ वेयर हाउसिंग तथा गोदाम के भू-उपयोग हेतु दर्शाया गया है ।

वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

।· नियमानुसार नियमन राशि एवं लीज राशि लेकर भूमि का नियमन किया जाये । एवं पट्टा दीया जावे।

2· जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम ।982 की धारा 25 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जाये ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

विषय :- भूखण्ड संख्या 30, 31, 32 नेमीनगर का पुनर्गठन बाबत ।

उपायुक्त जोन बी-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डे पर विचार-विमर्श किया गया और वाद विवार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1. भूखण्ड संख्या 31 व 32 का पुनर्गठन किया जावे और भूखण्ड संख्या 30 का अलग पट्टा दिया जावे ।
2. अनधिकृत निर्माण हेतु नियमानुसार पैनल्टी वसूल की जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

विषय :- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शेखावाटी नगर बाबत ।

प्रश्नगत योजना का अनुमोदन पूर्व में जोनल प्लान कमेटी की बैठक में किया जा चुका है ।

उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर योजना के संबंध निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1. 40' सैक्टर रोड की भूखण्ड संख्या 92 और 98 के उत्तर में बंद कर मौके के अनुसार भूखण्डों में समाहित की जाये । क्योंकि मौके पर भूखण्डों का निर्माण हो चुका है एवं इस रोड की कोई आवश्यकता नहीं है ।
2. योजना से होकर पूर्व-पश्चिम में 80' चौड़ी सैक्टर रोड गुजर रही है जिसे मौके के अनुसार 80' से 50' केवल योजना की सीमा तक किया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

विषय :- सीकर रोड विजयवाड़ी योजना, पथ नम्बर 7 में जीरो सैटबैक पर भूखण्ड़ों का अनुमोदन बाबत ।

उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार-विमर्श किया गया और निम्न तथ्य उभर कर आये -

जोन बी-3 में सीकर रोड से लगती हुई योजना विजयवाड़ी स्थित है इस योजना में 80' चौड़ी सैक्टर रोड है जिसे पथ नम्बर 7 के नाम से जाना जाता है । पूर्व में बीपीसी की बैठक 28/2001 दिनांक 8-10-2001 एवं बीपीसी की बैठक दिनांक 19-4-2002 में इस रोड को सीकर रोड से 80' ट्राई जंक्शन तक 80' से 40 करने का निर्णय लिया गया था ।

उपायुक्त जोन बी -3 द्वारा बताई गई मौके की स्थिति के आधार पर इस प्रश्नगत रोड की चौड़ाई 40' रखते हुए इस रोड से लगते हुए सभी भूखण्ड़ों को जीरो सैटबैक पर नियमित करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....२१.वी..बैठक दिनांक..7-6-02..............
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : गुलाब बाड़ी गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : मोदी नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : सुशीलपुरा के अनुमोदन के संबंध में । ख.नं. 207/3, 207/3/1, 207/3/2
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी-5...) कमेटी की बैठक दिनांक...7-6-02......................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । योजना विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया

1- भू.सं. 177 से 194 तक के भूखण्ड आंशिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में है । इन भूखण्डों के भूखण्डधारियों ने समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए तथा उन्होंने समिति को अवगत कराया कि वह मिट्टी भर कर भूखण्डों को एक ही लेवेल में कर लेगें तथा बाढ़ से सुरक्षा के सम्बन्ध में सुरक्षा दिवार का निर्माण कर लेगें । समिति ने विचार-विमर्श कर इन भूखण्डों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

2- भू.सं. 60, 61, 62, 66, 67, 68, 89 व प्रस्तावित सभी दुकानें अस्वीकृत कर इन्हें सुविधा क्षेत्र में दर्शायें ।

3- भू.सं. 201 से 210 योजना की भूमि के बाहर है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावें ।

......2/-

4- भू.सं. 174 से 200 के पश्चिम की ओर की दर्शायी 30-0" चौड़ी सड़की 40-0" किया जावें। इस प्रकार दोनों साइडों के भूखण्डों की गहराई 5-5' कम की जावें।

5- भू.सं. 1 से 33 के पूर्व की ओर की सड़क 30-0" चौड़ी दर्शायी है। इस सड़क की चौड़ाई 40-0" की जावें। इस प्रकार दोनों साइडों के भूखण्डों की गहराई 5'-5' कम की जावें।

6- योजना के पूर्व में समिति ने जो पैसिलिटी एरिया दर्शाया है वह योजना की भूमि नहीं है इसलिए इस क्षेत्र को अस्वीकृत किया जावें।

7- समिति के सदस्यों ने बैठक में बताया कि समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में अंकित भूखण्ड संख्या व आवंटियों को आवंटित भूखण्ड संख्या में विरोधाभास है इसलिए मौके के अनुसार नम्बरिंग के अनुसार ही भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही की जावें।

8- योजना में आवासीय क्षेत्रफल 60% से अधिक होने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-07-99 के अनुसार शिथिलता प्रदान करते हुए योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...21वी....बैठक दिनांक...7-6-02....
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : मित्र गृह नि0स0स0
2. योजना का नाम : न्यू सांगानेर बाई पास
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : बज लालपुरा के अनुमोदन के संबंध में ख.नं. 123, 125
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.बी-5.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....7-6-02.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उप नगर नियोजक द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् समिति द्वारा मौके का निरीक्षण करने के पश्चात् बैठक में पुनः प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया ।

Chairman

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 7.6.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-2 की पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना मल्होत्रा नगर के अनुमोदन के संबंध में प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमार्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया:-

पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना मल्होत्रा नगर के अनुमोदन के संबंध में। - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 7.5.2002 एवं उपायुक्त जोन ए-2 के एजेन्डा दिनांक 30.5.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना का आंशिक भाग जो कि खसरा नम्बर 16 गांव पापड पर स्थित हैं, के अनुमोदन पर विचार किया गया क्योंकि उक्त भूमि का स्वामित्व उपायुक्त जोन ए-2 द्वारा प्रार्थी के हक में बताया गया हैं।
2. इस भाग की सभी आंतरिक सडकों की चौडाइ को 30' किया जावें।
3. भूखण्ड संख्या 24, 26 बी, 26 ए, 51 एवं 52 के भूखण्डधारियों का गृ.नि.स.स. द्वारा आवंटित भूमि से अतिरिक्त भूमि पर कब्जा हैं। यह अतिरिक्त भूमि विद्याधर नगर योजना हेतु आरक्षित भूमि में से हैं। अत: इस अतिरिक्त भूमि का निष्पादन जोन स्तर पर अलग से परीक्षण कर किया जावें।
4. खसरा नम्बर 16 की लगभग 8270.26 व.ग. भूमि जिस पर मल्होत्रा नगर के भूखण्ड संख्या 2 से 12 दिखाये गये हैं, पर मित्र गृ.नि.स.स. की रघुनाथ पुरी योजना व मल्होत्रा नगर योजना का ओवर लेपिंग हैं। अत: इसका अनुमोदन स्थगित किया गया।
5. सीकर रोड से विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाली 24 मीटर चौडी सडक एवं विद्याधर नगर की 35 मीटर की सडक जो इस योजना से मिलती हैं, के संबंध में उपायुक्त जोन ए-2 मौके के अनुसार पक्का निर्माण (कम्पाउन्ड वाल नहीं) को दृष्टिगत रखते हुए फिसीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगें इसके पश्चात ही इन (अनुमोदित भाग खसरा नम्बर 16) सडकों से प्रभावित भूखण्डों के नियमन पर विचार किया जाएगा।
6. सभी भूखण्डों का नियमन आवासीय रूप में किया जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 7.6.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-4 की खसरा नम्बर 486, 487, 489, 491/1, 491/2 व 490 गांव नाहरगढ में स्थित भूमि के अनुमोदन संबंध में प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमार्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया:-

खसरा नम्बर 486, 487, 489, 491/1, 491/2 व 490 गांव नाहरगढ में स्थित भूमि के संबंध में- उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया गया

और यह तथ्य उभर कर आया कि भूखण्ड संख्या 982, 983ए/1, 983बी/1, 983ए/2, 983बी/2 गोविन्द नगर पश्चिम आमेर रोड के भूखण्ड उपरोक्त संदर्भित भूमि पर बसे है और मौके पर सभी भूखण्डों में निर्माण हैं। अतः वाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि आमेर रोड की चौडाई को 160' एवं प्रश्नगत भूखण्डों के पश्चिम में स्थित 20' चौडी रोड को 30' करते हुए जो शेष भूमि बचती हैं उसका मौके के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क लिया जाकर नियमन कर दिया जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 7.6.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 की गणपति गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार ग्राम सिरसी के अनुमोदन के संबंध में प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमार्श पश्चात निम्न निर्णय लिया गया:-

गणपति गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार ग्राम सिरसी के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 2.4.2002 एवं बीपीसी (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 10.4.2002 के निर्णय के क्रम में में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना को 60:40 के अनुपात में अनुमोदन किया जावें।
2. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार प्रस्तावित 200' रोड एवं 50' प्लान्टेशन कोरिडोर से प्रभावित आवासीय भूखण्डों व दुकानों का नियमन नहीं किया जावें।
3. योजना में प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जावें।
4. भूखण्ड संख्या 6, 14, 77, 78, 79, 82, 150, 256 का नियमन L.T. Line शिफ्ट करने के पश्चात किया जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 21वीं बैठक दिनांक 7-6-2002 को प्रातः 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य सदस्य
3. श्री ओ.पी.यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। सदस्य
6. श्री मुकेश मित्तल,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

7. श्रीमती आशा अवस्थी, कार्यवाहक वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
8. श्री मुकेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन ए-4, जविप्रा,जयपुर।
9. श्री विजयपाल सिंह, उपायुक्त जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर।
10. श्री बी.एस. परमार, उपायुक्त जोन ए-2 एव बी-8,जविप्रा,जयपुर।
11. श्रीमती सुषमा अरोडा, उपायुक्त जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन डी-1, जविप्रा,जयपुर।
13. श्री खान मोहम्मद, उपायुक्त जोन डी-2, जविप्रा, जयपुर।
14. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी,जविप्रा, जयपुर।
15. श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, बी-3, जविप्रा,जयपुर।
16. श्री ज.ना. वर्मा, सहायक नगर नियोजक, बी-6, जविप्रा,जयपुर।
17. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-1,जविप्रा,जयपुर।
18. श्री शेरा राम, सहायक नगर नियोजक, डी-1, जविप्रा,जयपुर।
19. सहायक नगर नियोजक, डी-2, जविप्रा,जयपुर।